

प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं नियंत्रक, संलग्न चिकित्सालय समूह,
कोटा

क्रमांक प.()एफ.वी.सी./2021-22/ 507

दिनांक :- 15.12.2021

परिपत्र

इस महाविद्यालय के अन्तर्गत अध्ययनरत समस्त पी.जी. रेजिडेन्ट्स एवं कार्यरत सीनीयर एवं लोकम रेजिडेन्ट्स जिनका स्टाईपेन्ड इस कार्यालय से आहरित किया जाता है को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में आप द्वारा आहरित किये जा रहे स्टाईपेन्ड पर आयकर की गणना हेतु जी ए 55 इस कार्यालय से प्राप्त कर उसके अनुसार आयकर गणना प्रपत्र की पूर्ति कर अनिवार्य रूप से इस महाविद्यालय के एफ.वी.सी. शाखा/डिस्पेच शाखा में दिनांक 25.12.2021 तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, इस हेतु आयकर गणना प्रपत्र सलंगन किया जा रहा है।

जिन मदों में आप द्वारा आयकर की छूट प्राप्त की जानी है उनसे सम्बंधित प्रपत्र गणना प्रपत्र के साथ आवश्यक रूप से सलंगन करें, इसके अभाव में आयकर छूट प्रदान नहीं की जा सकेगी। उल्लेखित तिथि तक आयकर गणना प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार स्टाईपेन्ड पर आयकर की कटौती कर ली जावेगी।

इसे प्रथामिकता प्रदान करें।

15/12/2021

डॉ. (डॉ. शिव कुमार)
अतिरिक्त प्रधानाचार्य

दिनांक :- 15.12.2021
राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं नियंत्रक
कोटा
कोड नं. 280-023

क्रमांक प.()एफ.वी.सी./2021-22/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय कोटा।
2. अधीक्षक, एम.बी.एस. चिकि./न्यू मेडिकल कॉलेज हास्पिटल जेकेलॉन चिकि./सुपर स्पेशलियटी विंग/रामपुरा सेटेलाइट हास्पिटल, कोटा।
3. समस्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय एवं सलंगन चिकित्सालय समूह, कोटा को भेजकर लेख है कि सलंगन आयकर गणना प्रपत्र को अपने अधीनस्थ कार्मिकों से पूर्ति करवाकर इस कार्यालय को निर्धारित तिथि तक प्रेषित करवाना सुनिश्चित करवावें।
4. प्रथारी अधिकारी, आई.टी.सेल. को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को कॉलेज वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करे।

अतिरिक्त प्रधानाचार्य

आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 2021-22 (कर निर्धारण वर्ष 2022-23)

1	नाम कर्मचारी :	पद :	PAN :			
2	आय : वर्ष-2021-22 में प्राप्त कुल वेतन (कर योग्य सुविधाओं के मुल्य सहित)					₹ -
3	गृह किराया, धारा 10(13A) के अन्तर्गत एवं धारा 10(14) के अन्तर्गत अन्य भत्ते जो कर मुक्त है।					₹ -
4					शेष (2-3)	₹ -
5	(i) स्टैण्डर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) 50,000 (अधिकतम) धारा 16 (ia)					
	(ii) मनोरंजन भत्ता धारा 16 (ii) के अन्तर्गत (अधिकतम सीमा रु 5,000)					
	(iii) व्यवसाय कर धारा 16 (iii) के अन्तर्गत					
					योग (5)	₹ -
6					शेष (4-5)	₹ -
7	(अ) गृह सम्पत्ति से आय: (1) स्वयं के उपयोग में -शून्य	(2) प्राप्त किराया रु.				
	(ब) घटायें	किराये का 30%	गृह ऋण पर ब्याज	गृहकर	योग 7(ब)	
					शेष - / + (7(अ) एवं योग 7(ब) का)	₹ -
8					कुल शेष - / + (6 एवं 7)	₹ -
9	अन्य आय					₹ -
10	सकल आय	योग (8+9)				₹ -
11	घटाइये कटौतियाँ :- धारा US 80C, 80CCC, 80CCD (1)					
	(A) अधिकतम सीमा 1,50,000/- (धारा 80CCE) , (धारा 80CCD (2), के अलावा					
	(i) राज्य बीमा (SI)	₹ -	(xi) सरकारी पेंशन योजना में अंशदान ECPF	₹ -		
	(ii) जीवन बीमा प्रीमियम (LIC)	₹ -	अधिकतम वेतन का 10% धारा 80CCD(1)	₹ -		
	(iii) राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)	₹ -	(xii) पेंशन प्लान हेतु अंशदान (धारा 80CCC)	₹ -		
	(iv) लोक भविष्य निधि (PPF)	₹ -	(xiii) राष्ट्रीय बचत पत्र पर अदत्त ब्याज	₹ -		
	(v) राष्ट्रीय बचत स्कीम (NSS)	₹ -	(xiv) ट्यूशन फीस	₹ -		
	(vi) सामान्य प्रावधानी निधि (GPF)	₹ -	(xv) इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम	₹ -		
	(vii) सामूहिक बीमा प्रीमियम (G.Ins.)	₹ -	(xvi) स्थगित वार्षिकी (Defferred Annuity)	₹ -		
	(viii) यू.एल.आई.पी./वार्षिक प्लान	₹ -	(xvii) पी.एल.आई. (PLI)	₹ -		
	(ix) गृह ऋण किस्त (HBA Premium)	₹ -	(xviii) अन्य जमा राशि (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	₹ -		
	(x) सुकन्या समृद्धि योजना में जमा राशि	₹ -	(Xix) योग (i से xviii)	₹ -		
					अधिकतम कटौती की राशि 1.50 लाख रुपए तक	₹ -
	(B) घटाइये- धारा 80CCD(2) नियोजित द्वारा पेंशन अंशदान की राशि (अधिकतम वेतन का 10%) पृथक से छूट				₹ -	
	(C) घटाइये - धारा 80CCD (1B) नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान (अधिकतम रु. 50,000)				₹ -	
					योग 11(A+B+C)	₹ -
12	अन्य कटौतियाँ					
	1. धारा 80 D चिकित्सा बीमा प्रीमियम (स्वयंपति/पत्नी व बच्चों के लिए रु 25000, माता-पिता के लिए रु 25,000 सोनियर सिटीजन रु 50,000)				₹ -	
	2. धारा 80 DD विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार (अधिकतम 75,000 तथा 80% या अधिक विकलांगता 125,000)				₹ -	
	3. धारा 80 DDB विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती (अधिकतम रु 40,000, सोनियर सिटीजन हेतु रु 100,000)				₹ -	
	4. धारा 80 E उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण का ब्याज				₹ -	
	5. धारा 80 G धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिये दान (क श्रेणी में 100 प्रतिशत एवं ख श्रेणी में 50 प्रतिशत)				₹ -	
	6. धारा 80 U स्थाई रूप से शारीरिक असमर्थता की दशा में (अधिकतम 75,000 तथा अधिनियम 1995 के अनुसार 125,000)				₹ -	
	7. धारा 80 TTA बचत खाते पर ब्याज की अधिकतम छूट रु. 10,000 U/S 194(A)				₹ -	
	8. धारा 80 TTB - वरिष्ठ नागरिकों को सभी प्रकार के ब्याज पर अधिकतम छूट- 50,000 रु. U/S 194(A)				₹ -	
	9. धारा 80 GGA अनुमोदित वैज्ञानिक, सामाजिक, ग्रामीण विकास आदि हेतु दिया गया दान				₹ -	
					कुल योग 12 (1 से 9 तक)	₹ -
13	कुल कटौती (11 + 12)					
14	कर योग्य आय (10 - 13)					
15	कुल आय की राशि को सम्पूर्ण करना (दस के गुणक में) धारा 288 A					
16	आयकर की गणना उपरोक्त कॉलम 15 के आधार पर					
	एक व्यक्ति कर दाता		वरिष्ठ नागरिक (60 से 80 वर्ष तक)		80 वर्ष या अधिक आयु	
	2,50,000 तक	Nil	3,00,000 तक	Nil		₹ -
	2,50,001-5,00,000	5%	3,00,001-5,00,000	5%	5,00,000 तक	₹ -
	5,00,001-10,00,000	20%	5,00,001-10,00,000	20%	5,00,001-10,00,000	₹ -
	10,00,000 से अधिक	30%	10,00,000 से अधिक	30%	10,00,000 से अधिक	₹ -
	(1) योग आयकर				₹ -	
	(2) छूट धारा 87 A (2.50 लाख से 5 लाख तक की कर योग्य आय पर आयकर की छूट अधिकतम रु. 12,500 तक)				₹ -	
	(3) शेष आयकर (1-2)				₹ -	
	(4) शिक्षा उपकर 2% एवं उच्च शिक्षा के लिए अधिभार 2% (योग 4%)				₹ -	
					कुल आयकर (3+4)	₹ -
17	घटाइये :- राहत धारा 89 के तहत					
18	कुल शेष आयकर					
19	आयकर कटौती का विवरण	सितम्बर 2021 तक रुपये	अक्टूबर से दिसम्बर 2021 रुपये	जनवरी 2022 रुपये	फरवरी 2022 रुपये	टी.डी.एस. रुपये
						कुल टैक्स कटौती योग कॉलम 19
						₹ -
Income Tax Payable/Refundable (Old Tax Regime)						₹ -

Signature of Employee

Signature of DDO